[2023] 14 एस.सी। आर . 1058: 2023 आईएनएससी 943

मामले का विवरण

मुनीलक्ष्मी

बनाम नरेंद्र बाबू एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 3297/2023)

20 अक्टूबर, 2023

[सूर्य कांत और दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्तिगण]

शीर्ष टिप्पणियाँ

विचारणीय मुद्दा: प्रतिवादी संख्या 1 अभियुक्त को धारएं 109,120ख, 201,302,450,454 और सह पठित धारा 34, भारतीय दंड संहिता, यदि जमानत देने के बाद की घटनाओं को देखते हुए रद्द किया जाना है, तो जमानत दी गई।

जमानत- हस्तक्षेप का दायरा- प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी पत्नी की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया था- हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा रुख में बदलाव, मृतक के परिवार के सदस्यों ने अपनी मुख्य परीक्षाके 20 दिनों के भीतर- प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ लगाए गए आरोप अतीत में, पुलिस को भड़काने, गुंडों को काम पर रखने, मृतक पर बार-बार हमला करने और उसके जीवन को छीनने के विभिन्न प्रयास- जमानत रद्द करनाः

अभिनिर्धारित: इस न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने की एक संकीर्ण गुंजाइश है और इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा अनिच्छुक होगा, भले ही उसकी अलग राय हो- अदालतें अक्सर एक तरफ अनुच्छेद 21 में सन्निहित स्वतंत्रता के सबसे कीमती अधिकार और दूसरी तरफ व्यवस्थित समाज के अधिकार को संतुलित करने के लिए जूझती हैं- लंबे कारावास के मामले में नाजुक संतुलन एक संदिग्ध को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करके तैयार किया जाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र

परीक्षण बाधित नहीं होता है-हालांकि, अगर यह पाया जाता है कि एक विचाराधीन ने गवाहों को भड़काकर या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके या न्याय से छेड़छाड़ करने की कोशिश करके जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत की रियायत वापस लेकर हिरासत में लेने के लिए प्रतिबद्ध किया जा सकता है-वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता (मृतक की मां) को जोरदार ढंग से रद्द करने की अपील दी गई थी- प्रतिवादी संख्या 1 अपनी बेटी की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में- हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण गवाहों, मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा उनके मुख्य परीक्षा के 20 दिनों के भीतर दिखाए गए रुख में अचानक बदलाव केवल एक संयोग नहीं हो सकता है- इसलिए, अपीलार्थी का अचानक हमला, प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ अतीत में पुलिस को भड़काने, गुंडों को काम पर रखने, बार-बार मृतक पर हमला करने और उसके जीवन को छीनने के विभिन्न प्रयासों के आरोपों की श्रृंखला से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है- प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने और गवाहों को जीतने के लिए उसके लिए एक उत्साहजनक अवसर के बीच एक प्रथम दृष्टया निकटता है- आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया गया, प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत खारिज कर दी गई- अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी और उसके परिवार को उनके नए बयानों तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए- भारत का संविधान- अनुच्छेद 21,142-दंड संहिता, 1860-धाराएं-109,120B, 201,302,450,454 सह पठित धारा 34 [अनुच्छेद 19,20,25,32]

जमानत- जमानत की रियायत का दुरुपयोग- न्यायालयों का कर्तव्यः

अभिनिर्धारित: न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठिन कर्तव्य के अधीन हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली जीवंत और प्रभावी हो; अपराध के अपराधी दंडित नहीं होते हैं; गवाहों को उन्हें सच्चाई से गवाही देने से रोकने के लिए किसी भी खतरे या प्रलोभन में नहीं होते हैं और अपराध के पीड़ितों को कार्यवाही के हर चरण में अपनी आवाज सुनाई जाती है- जहां, किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि जमानत की रियायत के दुरुपयोग का संकेत देने वाली ठोस और भारी परिस्थितियां हैं, न्याय के हित में ऐसी रियायत को तुरंत वापस लेना न्यायालय के लिए अनिवार्य हो जाता है। [अनुच्छेद 21,22]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 311- गवाहों को वापस बुलाना:

अभिनिर्धारित: प्रतिवादी संख्या1 को जमानत दिए जाने के बाद जो असामान्य और आश्चर्यजनक घटनाएं घटी हैं, वे मुकदमे के प्रभावी, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय के लिए गवाहों को वापस बुलाने का मामला बनाती हैं- इस न्यायालय के पास न केवल अनुच्छेद 142 के तहत बल्कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत भी इस तरह का सहारा लेने की विशाल और पर्याप्त शक्तियां निहित हैं, चाहे यह अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर हो या स्वत: संज्ञान पर- ऐसी संवैधानिक या वैधानिक शक्ति किसी के द्वारा सीमित नहीं है पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के चरण जैसी बाधाएँ- किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो, या उसे वापस बुलाया जा सकता है, या फिर से पूछताछ की जा सकती है ताकि आरोपों पर प्रकाश डाला जा सके- संविधान का इरादा अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों को भरने और किसी अभियुक्त के अधिकारों पर कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने का नहीं है- इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और सच्चाई को सामने लाने के लिए भारी सबूत इकट्ठा करने के लिए है- वर्तमान मामले में, परिवार के सदस्य अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए मृतक सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं - मुख्य परीक्षा में उनका रुख जिरह के विपरीत है- मृतक के माता-पिता और बहन अपने पहले के दृष्टिकोण से पीछे हट गए, जहां वे वर्ष 2019 से विभिन्न मंचों के सामने जोरदार अपनी बात रख रहे रहे थे - वर्तमान में गवाहों पीडब्लू-1, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 (मां, बहन और मृतक के पिता)) को वापस बुलाने के लिए उपयुक्त मामला है को विषय परीक्षण में प्रभावी निर्णय तक पहुंचने के लिए उनकी आगे की जिरह के लिए- भारत का संविधान- अनुच्छेद 142। [अनुच्छेद 28, 29]

न्याय प्रशासन- आपराधिक न्याय प्रशासन- गवाहों की भूमिका:

अभिनिर्धारित: न्याय को पीड़ित तक पहुंचाने में गवाह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से अदालती मुकदमों की प्रतिकूल प्रणाली में जहां जिम्मेदारी स्वयं पर होती है व्यक्तियों को परिचित कराकर अभियुक्त का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन न्याय की अदालतों के समक्ष तथ्यों के साथ - उनकी गवाही निर्धारित करती है अदालत के समक्ष मुकदमे का भाग्य - यदि कोई गवाह मुकर जाता है वह कारणों को अनदेखा कर रहा है और सच्चाई को उजागर करने में अनिच्छुक है, वह ऐसा करेगा न्याय प्रशासन और आस्था को

अपूरणीय क्षति पहुँचाएँ आपराधिक न्याय की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता में बड़े पैमाने पर समाज व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी। [अनुच्छेद 26]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 311- के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग:

अभिनिर्धारित: धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और केवल एक गवाह द्वारा की गई शत्रुता, इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी जमानत की रियायत के दुरुपयोग का अनुमान लगाएं। [अनुच्छेद 31]

शब्द और वाक्यांश - "ठोस और भारी परिस्थितियाँ जमानत रद्द करने के लिए"- चर्चा- जमानत। [अनुच्छेद 23]

उद्धरणों और अन्य सन्दर्भों की सूची

दोलत राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1 एससीसी 349: [1994] 6 पूरक एससीआर 69; विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2021) 15 एससीसी 518; रमेश एवं अन्य। बनाम हरियाणा राज्य (2017) 1 एससीसी 529: [2016] 8 एससीआर 936- पर निर्भर था।

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2014) 2 एससीसी 1: [2013] 14 एससीआर 713; संजय चंद्र बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2012) 1 एससीसी 40: [2011] 13 एससीआर 309; सिद्धराम सतलिंगप्पा महेतरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2011) 1 एससीसी 694: [2010] 15 एससीआर 201- संदर्भित।

आक्षेपित आदेश और उपस्थिति सहित अन्य मामले का विवरण

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 3297/2023 2023। सीआरएलपी संख्या 3164/2020 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 12.08.2020 के निर्णय और आदेश से।

अधिवक्तागण:

महेश ठाकुर, रणविजय सिंह चंदेल, श्रीमती गीतांजलि बेदी, शिवम शर्मा, सुश्री अनुषा आर., अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. हरीश कुमार, नवनीत दुगर, वी. एन. रघुपति, नरेंद्र पाल गुप्ता, शुभ्रांशु पाधी, मो. अपजल अंसारी, अधिवक्ता प्रतिवादियों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सूर्यकांत,न्यायमूर्ति

1. अनुमति दी गई।

2. यह आपराधिक अपील बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.08.2020 के एक आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 को विद्वत न्यायालय अतिरिक्त सिटी सिविल एवं एंड सेशन जज, बेंगलुरु के समक्ष लंबित परीक्षण कार्यवाही संख्या एस.सी. 1111/2021 में नियमित जमानत दी गई थी। उक्त मुकदमा अपराध संख्या 151/2019 दिनांक 21.12.2019 को पुलिस स्टेशन व्यालिकावल, बेंगलुरु में भारतीय दंड संहिता की धारा 109,120 बी, 201,302,450,454 के तहत धारा 34 के साथ पढ़ा गया [यहाँ 'भारतीय दंड संहिता '] से उद्भूत हुआ है।

क. तथ्यः

A.1. जमानत से से पहले वाद का वास्तविक ढांचा

3. विनुथा एम. और प्रतिवादी संख्या 1 का विवाह वर्ष 2006 में हुआ था। वर्ष 2009 में इस शादी से एक लड़के का जन्म हुआ था। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 का विवाहेतर संबंध था। उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर अपने

बच्चे के जन्म के तुरंत बाद विनुथा एम. को परेशान करना शुरू कर दिया और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए उस पर दबाव डाला। इसलिए, वह वैवाहिक घर की पहली मंजिल पर अलग रहने लगी।

4. विनुथा एम. ने प्रतिवादी संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपने जीवन पर किए गए कथित प्रयासों सहित उत्पीड़न की कई आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं जिसमें से कई प्रथम सूचना रिपोर्टों का पंजीकरण हुआ **[यहाँ 'एफआईआर'],** जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

I. एफआईआर संख्या 231/2015 को थाना व्यालिकावल, बेंगलुरु में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के तहत दर्ज किया गया था दिनांक 23.11.2015 को यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता पर हमला किया और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी। उसके इनकार पर, प्रतिवादी संख्या 1 की माँ ने शिकायतकर्ता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे मारने की कोशिश की लेकिन वह भागने में सफल रही।

II. एफआईआर संख्या 238/2015 को व्यालिकावल, बेंगलुरु में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 354(क)(2) 506,504,448,109 सह पठित धारा 34 के तहत दर्ज किया गया था यह आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा जो ड्राइवर थे ने, शिकायतकर्ता के कमरे में प्रवेश किया और प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के उकसावे पर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की।

III. एफआईआर संख्या 97/2016 को व्यालिकावल, बेंगलुरु में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 143,323,448,504,506 और 149 के तहत दर्ज किया गया था जिसमे आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने शिकायतकर्ता को कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की लेकिन वह शौचालय तक भागने में कामयाब रही और खुद को बचाया। उसने शौचालय के अंदर से पुलिस को बुलाया और पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर, प्रतिवादी संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्य भाग गए।

IV. एफआईआर संख्या 205/2017 को व्यालिकावल, बेंगलुरु में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 (1)(ख)(ख) और कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 की धारा 96 और 97 के तहत दर्ज किया गया था [यहाँ 'केपी अधिनियम']आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या1 ने शिकायतकर्ता को मारने के लिए कुछ उपद्रवी भेजे। पुलिस ने बाद में उन गुंडों को कुल्हाड़ियों और मिर्च पाउडर के साथ पकड़ा, जिसे वे शिकायतकर्ता पर हमला करने के लिए साथ ले गए थे।

V. एफआईआर संख्या 50/2019 को व्यालिकावल, बेंगलुरु में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 354 (ख) 341,323,427,504 और 506 के तहत दर्ज किया गया था। व्यालिकावल, जहां आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या1 ने अपने बचपन के दोस्तों के साथ दिनांक 16.06.2019 को शिकायतकर्ता का शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया और उसके दोपहिया वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

5. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्यों कथित निरंतर हमलों और उसकी जान को खतरे के कारण, शिकायतकर्ता ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया और ।

6. पुलिस अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, उसने रिट याचिका संख्या 33221/2019 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, प्रतिवादी संख्या 1 और उसके परिवार से सुरक्षा की मांग। उक्त रिट याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2019 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा **(ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में निर्धारित स्थापित कानून के आलोक में[1])** किया गया था। सक्षम प्राधिकारी को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के साथ, यदि पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

7. इसके बाद, शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश को दिनांक 19.08.2019 को अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के नोटिस में लाया और उसे पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया।

8. जाहिर है, पुलिस सुरक्षा के लिए उसके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था,

इसलिए शिकायतकर्ता ने दिनांक 21.10.2019 को पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु में एक और शिकायत की, जिसमें विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अनुबंध-हत्या के लिए चिन्नास्वामी और उसके सहयोगियों को रुपए 15 लाख की राशि का भुगतान किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त चिन्नास्वामी और उसके सहयोगियों को दिनांक 29.11.2017 को स्थानीय पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था एफआईआर संख्या 205/2017 के संबंध में। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसने प्रतिवादी संख्या 1, और चिन्नास्वामी जैसे उनके सहयोगी जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी।

9. शिकायतकर्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और दिनांक 30.10.2019 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री को उपर्युक्त आरोपों को दोहराते हुए एक और विस्तृत शिकायत की। इसके अतिरिक्त, एक महिला संगठन भी आगे आया और शिकायत की कि व्यालिकावल पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारियों और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच साँठ-गांठ थी, यह में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्थानीय पुलिस बाहरी दवाब में 'निष्क्रिय' थी।

10. सभी शिकायतों की विषय-वस्तु से यह भी स्पष्ट है कि विवाह से पैदा हुआ पुत्र शिकायतकर्ता की एकमात्र अभिरक्षा में बना रहा जबकि प्रतिवादी संख्या 1 शिकायतकर्ता को बेरोकटोक परेशान करता रहा और आपसी तलाक के लिए सहमत होने के लिए उस पर दबाव डालता रहा।

11. दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, जो, दिनांक 21.12.2019, शिकायतकर्ता [**यहाँ 'मृतक'**] अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया थी। वह खून से लथपथ और सुस्त अवस्था में पड़ी मिली। अपीलार्थी- श्रीमती मुनीलक्ष्मी मृतक की मां ने विषय प्राथमिकी दर्ज की, जो शुरू में केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498क के तहत दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 मृतक को तलाक के लिए सहमति देने के लिए मजबूर कर रहा था क्योंकि वह किसी और से शादी करना चाहता था। इसने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 1, उसके परिवार के सदस्यों और उसके सहयोगियों ने पहले भी अपीलार्थी की बेटी को मारने का प्रयास किया था।

12. इसके बाद अपीलार्थी ने दिनांक 25.12.2019 को एक और शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि हेलमेट आदि पहने हुए संदिग्ध नियमित रूप से दूसरे घर के निवासी

से मिलने के बहाने मृतक के वैवाहिक घर जाते थे, लेकिन वास्तव में वे मृतक को धमकी देते थे, जो उसी घर के पहले घर में रह रहा था, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रतिवादी संख्या 1 के साथ एक प्रशांत (आरोपी संख्या 2) और एक जगनाथ (आरोपी संख्या 3) अपीलार्थी की बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया था। अपराध संख्या 151/2019 में जांच अंततः पूरा हो गया था, और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी दिनांक 01.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ। अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराएं 109,120ख, 201,302,450,454 के साथ सह पठित की धारा 34 के तहत दंडनीय है। अंतिम रिपोर्ट में, प्रतिवादी संख्या 1 पर आरोपी संख्या 2 और 3 को 'सुपारी' देकर अपनी पत्नी की हत्या करने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने मृतक पर घातक हमला किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

13. गिरफ्तारी के तुरंत बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने जमानत के लिए आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.08.2020 के आक्षेपित आदेश में कहा कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 हालांकि, अपराध संख्या 151/2019 में उसके खिलाफ आरोप केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और 120ख के तहत दंडनीय हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि क्या मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज जैसी सामग्री आपराधिक साजिश रचने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त थी, यह मुकदमे का विषय है और तब तक यह दिखाने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं थी कि प्रतिवादी संख्या 1 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ संचार या संपर्क में था। नतीजतन, प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

A.2. जमानत दिए जाने के बाद और वर्तमान एसएलपी दाखिल करना की घटनाएँ

14. पीड़ित अपीलार्थी हमारे समक्ष अपील में है। इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, कुछ परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं जिन पर संक्षेप में ध्यान दिया गया हैः

(क) दिनांक 16.04.2021 को विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मामले को दिनांक 27.03.2023 को प्रभावी सुनवाई के लिए तभी लिया जा सका जब यह सूचित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 नियमित जमानत पर छोड़ दिया गया है। नतीजतन, अपीलार्थी को एक अतिरिक्त शपथ दाखिल करने के लिए समय दिया गया।

(ख) दिनांक 24.04.2023 को इस न्यायालय को अवगत कराया गया था कि यद्यपि आरोप वि रचित किए गए थे, तथापि विचारण अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। राज्य के वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष के 109 गवाहों से पूछताछ की जानी है। इसलिए हमने निचली अदालत को अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ शुरू करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी संख्या 1 को मुकदमे में सहयोग करने और सुनवाई की तारीख को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था।

(ग) दिनांक 31.07.2023 को, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.04.2023 का एक आदेश हमारे संज्ञान में लाया गया था, जिससे पता चला कि सीडब्ल्यू-1 से सीडब्ल्यू-3 (अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्य) अपने बयानों के लिए उपस्थित नहीं हुए थे और उन्हें फिर से गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। तदनुसार निचली अदालत से एक नई स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें आगे निर्देश दिया गया था कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई सहित आवश्यक कदम उठाए जाएं।

15. इसके बाद जो हुआ वह काफी निराशाजनक है, और यह इस न्यायालय की अंतरात्मा को चुभता है। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि मुख्य गवाहों, जो अपीलार्थी (पीडब्लू-1) उनकी बेटी-विद्या (मृतक की बहन, पीडब्लू-4) और मुनिराजू (मृतक के पिता, पीडब्लू-5) हैं, की जिरह और जिरह के बीच लगभग 20 दिनों का अंतराल था वे सभी शत्रुतापूर्ण हो गए हैं और अपने पिछले बयानों से पीछे हट गए हैं।

ख. सामग्रीः

16. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जिरह में उसके विरोधाभास की परवाह किए बिना जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने उन सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करने में गंभीर त्रुटि की है जो न्यायालयों को जमानत देने या अस्वीकार करने के मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 अपनी पत्नी की हत्या के लिए आपराधिक साजिश रची गई। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जमानत की रियायत के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली शिकायतों का भी एक स्पष्ट संदर्भ दिया।

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी का समर्थन करते हुए दोहराया है कि प्रतिवादी संख्या 1 मृतक को परेशान कर रहा था और उसे किसी और से शादी करने के इरादे से तलाक के लिए स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने भी दहेज की मांग करके मृतक को अपमानित करना जारी रखा और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे मारने का भी प्रयास किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का अन्य आपराधिक इतिहास भी है। वह अपराध संख्या में शामिल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) के तहत 122/2017 और भारतीय दंड संहिता की धाराएं धारा 345 (क) और (ख) 341,355,323,504 सह पठित धारा 34 और अपराध संख्या 205/2017 केपी अधिनियम की धारा 96 और 97 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 ख के तहत। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कर्नाटक राज्य के सरकारी प्लीडर ने प्रतिवादी संख्या 1 उसे नृशंस हत्या से जोड़ने के लिए। उन्होंने प्रभावी अधिनियम को यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने शायद ही कुछ महीने हिरासत में बिताए और इसके तुरंत बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसमें अपराध की जघन्य प्रकृति और इस तथ्य की अनदेखी की गई कि प्रतिवादी संख्या 1 कमजोर गवाहों को अपने धन और बाहुबल से प्रभावित कर सकता था।

18. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री नरेंद्र हुड्डा ने बहुत उत्साहपूर्वक आग्रह किया कि आईपीस की धारा 302, 450 और 454 के अधीन अपराधों को छोड़कर, अन्य सभी अपराध जमानती प्रकृति के हैं। **संजय चंद्र बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[2] **और सिद्धराम सतलिंगप्पा महेतरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[3] पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय आरोप की गंभीरता एक परीक्षण या कारक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी भी जमानत की रियायत का दुरुपयोग नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक प्रतिवादी संख्या 1 का अपनी पत्नी की अप्राकृतिक मृत्यु के साथ कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बार जब उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर लिया है, तो इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

ग. विश्लेषणः

19. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे महत्वपूर्ण गवाहों, अर्थात् मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी जांच के 20 दिनों के भीतर दिखाए गए रुख में अचानक बदलाव केवल एक संयोग नहीं हो सकता है। अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली इस अपील का जोरदार तरीके से पैरवी कर रहा है। अपने मुख्य परीक्षण में, उन्होंने विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 1 अपनी बेटी की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आरोपी माना है। इसलिए, उसके अचानक हुए हमले को प्रतिवादी संख्या 1 अतीत में, पुलिस को भड़काना, गुंडों को काम पर रखना, मृतक पर बार-बार हमला करना और उसकी जान लेने के विभिन्न प्रयास। ये सभी आरोप, इन कार्यवाहियों के सीमित उद्देश्य के लिए, सुझाव देते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास जांच या उन गवाहों को भड़काने की क्षमता है जिन्हें उसके खिलाफ गवाही देने के लिए निर्धारित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता, मृतक द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान या अपीलार्थी द्वारा पुलिस के समक्ष या इस अपील में इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

20. इस न्यायालय के पास निस्संदेह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने की एक संकीर्ण गुंजाइश है और वह इस तरह के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा अनिच्छुक रहेगा, भले ही उसकी अलग राय हो। अदालतें अक्सर एक ओर संविधान के अनुच्छेद 21 में सन्निहित स्वतंत्रता के सबसे मूल्यवान अधिकार और दूसरी ओर कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध व्यवस्थित समाज के अधिकार को संतुलित करने से जूझती हैं। लंबे कारावास के मामले में नाजुक संतुलन एक संदिग्ध को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करके तैयार किया जाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मुकदमे में बाधा न आए। हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि किसी विचाराधीन व्यक्ति ने गवाहों को भड़काकर या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके या न्याय से बचने की कोशिश करके जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत की रियायत वापस लेकर हिरासत में लिया जा सकता है।

21. न्यायालयों का यह सुनिश्चित करना एक कठिन कर्तव्य है कि आपराधिक न्याय प्रणाली

जीवंत और प्रभावी हो; अपराध के अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता है; गवाहों को सच्चाई से गवाही देने से रोकने के लिए उन्हें किसी भी तरह की धमकी या प्रलोभन के तहत नहीं रखा जाता है और अपराध के पीड़ितों को कार्यवाही के हर चरण में अपनी आवाज सुनाई देती है।

ग.1. <u>कानून में राहत:</u>

ग. 1.1. जमानत को रद्द करना

22. जहां, किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि जमानत की रियायत के दुरुपयोग का संकेत देने वाली ठोस और भारी परिस्थितियां हैं, न्याय के हित में न्यायालय के लिए ऐसी रियायत को तुरंत वापस लेना अनिवार्य हो जाता है।

23. "जमानत रद्द करने के लिए ठोस और भारी परिस्थितियाँ" अभिव्यक्ति को इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है, **दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य**[4] सहित निर्णयों में जो इस प्रकार हैं:

(i) न्याय के उचित मार्ग से बचने का प्रयास या दुर्व्यवहार या जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने का प्रयास;

(ii) अभियुक्त के फरार होने की संभावना;

(iii) निष्पक्ष मुकदमे के सिद्धांतों को बाधित करने वाली परिस्थितियों का विकास;

(iv) अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के आचरण और न्यायालय के हस्तक्षेप पर सामाजिक प्रभाव के बीच संबंध।

24. **विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य**[5] में, इस न्यायालय ने जमानत की मंजूरी के बाद विकसित होने वाली पर्यवेक्षण परिस्थितियों के प्रभाव की व्याख्या की, जैसे कि

न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप, जमानत की रियायत का दुरुपयोग, आदि, जो एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए प्रतिकूल हैं और जमानत को रद्द करने का कारक होंगे।

25. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए इन मापदंडों को लागू करते हुए, हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने और गवाहों को जीतने के लिए उसके लिए एक उत्साहजनक अवसर के बीच एक प्रथम दृष्टया निकटता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 कम से कम तब तक जमानत की रियायत का लाभ उठाने का हकदार नहीं है जब तक कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं की जाती है। इस प्रकार, मुकदमे के प्रभावी, निष्पक्ष, न्यायसंगत और निष्पक्ष समापन के लिए उन्हें दी गई स्वतंत्रता के विशेषाधिकार को वापस लिया जाना चाहिए।

ग. 1.2 एक निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करनाः गवाहों को वापस बुलाना

26. इस न्यायालय के समक्ष एक बड़ी चुनौती गवाहों की शत्रुता के बीच एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है। निस्संदेह, गवाह न्याय को मूर्त रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से अदालती मुकदमों की प्रतिकूल प्रणाली में जहां अभियोजन पक्ष पर न्याय की अदालतों के समक्ष तथ्यों से परिचित व्यक्तियों को लाकर अभियुक्त के अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी होती है। उनकी गवाही कानून की अदालत के समक्ष एक मुकदमे के भाग्य को निर्धारित करती है, जिसके बिना अदालत रडार और कंपास के बिना समुद्र में एक नाविक की तरह होगी।

6 यदि कोई गवाह अतिरंजित कारणों से शत्रुतापूर्ण हो जाता है और अप्रकाशित सत्य को साबित करने के लिए अनिच्छुक होता है, तो यह न्याय के प्रशासन को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाएगा और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभाव और विश्वसनीयता में बड़े पैमाने पर समाज के विश्वास को नष्ट कर देगा और चकनाचूर कर देगा।

27. यह न्यायालय **रमेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य**[7] में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने बयानों को वापस लेने और प्रतिकूल होने के कारणों को स्पष्ट रूप से समझाया है। इनमें शामिल हैं: (i) धमकी/डराना; (ii) विभिन्न माध्यमों से प्रलोभन; (iii) अभियुक्त द्वारा बाहुबल और धन शक्ति का उपयोग; (iv) गवाहों का उपयोग; (v) लंबी सुनवाई; (vi)

जांच और मुकदमे के दौरान गवाहों को होने वाली परेशानियां; और (vii) गवाहों की शत्रुता की जांच के लिए एक मजबूत विधायी तंत्र का अभाव। इन कारणों में, गवाहों को 'धमकी' और 'डरना' हमेशा सभी हितधारकों के बीच गंभीर चिंता का विषय रही है।

28. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत प्रदान किए जाने के पश्चात् जो असामान्य और आश्चर्यजनक घटनाएँ घटी हैं, वे विचारण के प्रभावी, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय के लिए गवाहों को वापस बुलाने का मामला बनाती हैं। इस न्यायालय के पास न केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 **(यहाँ 'दंड प्रक्रिया संहिता')** की धारा 311 के तहत भी इस तरह का सहारा लेने के लिए विशाल और पर्याप्त शक्तियां निहित हैं, चाहे वह अभियोजन के अनुरोध पर हो या स्वतः ही। ऐसी संवैधानिक या वैधानिक शक्ति जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के चरण जैसी किसी भी बाधा से सीमित नहीं है। एक व्यक्ति को बुलाया जा सकता है और उससे पूछताछ की जा सकती है, हालांकि उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है, या उसे वापस बुलाया जा सकता है, या फिर से पूछताछ की जा सकती है ताकि आरोपों पर प्रकाश डाला जा सके। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311, निश्चित रूप से, अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को दूर करने और अभियुक्त के अधिकारों के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने का इरादा नहीं रखती है। इस प्रावधान के तहत शक्ति के प्रयोग का उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना और सच्चाई को सामने लाने के लिए भारी सबूत इकट्ठा करना है।

29. वर्तमान मामले में, मृतक के परिवार के सदस्य अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं। मुख्य परीक्षा में उनका रुख प्रतिपरीक्षा में उनके रुख के बिल्कुल विपरीत होता है। यह तथ्य कि मृतक के माता-पिता और बहन अपने पहले के दृष्टिकोण से पीछे हट गए हैं, जहां वे वर्ष 2019 से विभिन्न मंचों के सामने जोरदार पस्तुति करते पाए गए थे, हमें सीआरपीसी की धारा 311 के साथ पढ़ने वाले अनुच्छेद 142 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।

30. इस प्रकार हम गवाहों (पीडब्लू-1, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5) को विषय विचारण में प्रभावी निर्णय तक पहुंचने के लिए उनकी आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने के लिए एक मामला दर्ज करते हैं।

31. हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और गवाह द्वारा केवल शत्रुता, प्रति व्यक्ति, जमानत की रियायत के दुरुपयोग का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। इसके अलावा, ऊपर की गई टिप्पणियों का लंबित मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

घ. <u>निर्णयः</u>

32. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस अपील की अनुमति देते हैं:

(i) दिनांक 12.08.2020 के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 की जमानत को रद्द कर दिया गया है;

(ii) प्रतिवादी संख्या 1 को एक सप्ताह के बाद आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। वह मुकदमे के समापन तक या इस न्यायालय द्वारा परिवर्तित परिस्थितियों में उसे जमानत पर रिहा किए जाने तक अभिरक्षा में रहेगा;

(iii) निचली अदालत को उनकी आगे की जिरह के लिए पीडब्लू-1, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 को वापस बुलाने का निर्देश दिया जाता है;

(iv) पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी और उसकी बेटी (पीडब्लू-4) सहित उसके परिवार को कम से कम उनके नए बयानों तक चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करें;

(v) पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु को आगे यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को उनके बयान वापस लेने के लिए धमकी दी गई थी, प्रेरित किया गया था या किसी बाहरी दबाव के अधीन किया गया था। ऐसी प्रतिवेदन 2 सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए जो प्रतिवादी संख्या 1 और उसके सह-अभियुक्त, यदि ऐसी रिपोर्ट में उनके विरुद्ध कोई आक्षेप है; और;

(vi) विचारण न्यायालय अपीलार्थी, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और अन्य महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों की आगे प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 या उसके वकील के आचरण का बारीकी से अवलोकन करेगा। किसी भी तुच्छ भाव या तुष्टीकरण की अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि सभी भौतिक गवाहों के स्वैच्छिक, स्वतंत्र और अप्रदूषित संस्करण को अभिलेख पर लाया जा सके।

33. वर्तमान अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्य पांडे द्वारा तैयार की गईं। अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक (मदन मोहन प्रिय) द्वारा किया गया है।